# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 638 सन 2022

अनवान :–

1. कालुसिह पुत्र भैरूसिह जाति राजपूत साकिन धानसिया तहसील नोहर ।
2. महेन्द्रसिह पुत्र रूपसिह जाति राजपुत साकिन धानसिया तहसील नोहर।

वादीगण

**बनाम**

1. प्रर्वतसिह पुत्र भैरूसिह जाति राजपूत साकिन धानसिया तहसील नोहर।
2. रतनकवंर पत्नी स्व भैरूसिह जाति राजपूत साकिन धानसिया तहसील नोहर।
3. भंवरीदेवी पुत्री स्व भैरूसिह जाति राजपूत साकिन धानसिया तहसील नोहर।
4. इन्द्रावती पुत्री स्व भैरूसिह जाति राजपूत साकिन धानसिया तहसील नोहर।
5. रूकमा कवंर पुत्री स्व भैरूसिह जाति राजपूत साकिन धानसिया तहसील नोहर।
6. रूकमण कंवर पुत्री स्व भैरूसिह जाति राजपूत साकिन धानसिया तहसील नोहर।
7. विक्रमसिह पुत्र स्व रूपसिह जाति राजपूत साकिन धानसिया तहसील नोहर।
8. रतुकंवर पत्नी स्व रूपसिह जाति राजपूत साकिन धानसिया तहसील नोहर।
9. मीराकंवर पुत्री रूपसिह जाति राजपूत साकिन धानसिया तहसील नोहर।
10. सुमित्रा कंवर पुत्री रूपसिह जाति राजपूत साकिन धानसिया तहसील नोहर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

**राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88**

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

**निर्णय दिनांक :–** 08/08/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 439/440 की कुल 2.4688हैक भूमि भैरूसिह , रूपसिह पुत्र धोकलसिह बहिब के नाम , व रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 446/449 की कुल 12.5235हैक भूमि में सयुक्त तौर से भैरूसिह पुत्र धोकलसिह का 55787/12535 हिस्सा , व रूपसिह के वारिसान वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 7 ता 10 का कुल 55787/125235 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज भैरूसिह पुत्र धोकलसिह एव रूपसिह पुत्र धोकलसिह के नाम से दर्ज थी रूपसिह पुत्र धोकलसिह के देहान्त होने पर रूपसिह के नाम दर्ज भूमि उसके वारिसान वादी संख्या 2 एव प्रतिवादी संख्या 7 ता 10 के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुकी है तथा भेरूसिह पुत्र धोकलसिह का भी देहान्त हो चुका है भेरूसिह पुत्र धोकलसिह के नाम दर्ज भूमि के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी संख्या 1 एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है जो भेरूसिह के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है अर्थात वाद भूमि वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के हक हिस्सा की भूमि है।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 वादी संख्या 1 की बहने है एवं रूपसिह पुत्र धोकलसिह की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि अपने भाईयो वादी संख्या 1 एव प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया हुआ है तथा प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 जो वादी संख्या 2 की बहने एवं रूपसिह की पुत्रीया है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी संख्या 2 एव प्रतिवादी संख्या 7 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,6 ,7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 को कई मर्तबा कहा की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

Scanned with CamScanner

अत: वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की भैरूसिह पुत्र धोकलसिह , एव वादी संख्या 2 एवं प्रतिवादी संख्या 7 ता 10 के नाम दर्ज भूमि वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ,6 ,7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में भैरूसिह , रूपसिह पुत्र धोकलसिह के नाम से दर्ज थी दोनो का देहान्त हो चुका है रूपसिह पुत्र धोकलसिह के नाम दर्ज भूमि उसके वारिसान एव रूपसिह के नाम दर्ज है तथा भैरूसिह पुत्र धोकलसिह के नाम दर्ज है भेरूसिह पुत्र धोकलसिह के जायज वारिसान वादी संख्या 1 एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है एव भैरूसिह पुत्र धोकलसिह के जायज वारिसान वादी संख्या 2 एव प्रतिवादी संख्या 7 ता 10 है अर्थात वाद भूमि वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के हक हिस्सा की भूमि है तथा प्रतिवादी सख्या 2 ता 5 एव 8 ता 10 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि अपने भाईयो/पुत्रों के पक्ष में त्याग किया जा चुका हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,6 ,7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,6 ,7 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 439/440 की कुल 2.4688हैक भूमि भैरूसिह , रूपसिह पुत्र धोकलसिह बहिब के नाम , व रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 446/449 की कुल 12.5235हैव भूमि में सयुक्त तौर से भैरूसिह पुत्र धोकलसिह का 55787/12535 हिस्सा , व रूपसिह के वारिसान वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 7 ता 10 का कुल 55787/125235 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज भैरूसिह पुत्र धोकलसिह एव रूपसिह पुत्र धोकलसिह के नाम से दर्ज थी रूपसिह पुत्र धोकलसिह के देहान्त होने पर रूपसिह के नाम दर्ज भूमि उसके वारिसान वादी संख्या 2 एव प्रतिवादी संख्या 7 ता 10 के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुकी है तथा भेरूसिह पुत्र धोकलसिह का भी देहान्त हो चुका है भेरूसिह पुत्र धोकलसिह के नाम दर्ज भूमि के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी संख्या 1 एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है जो भेरूसिह के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है अर्थात वाद भूमि वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के हक हिस्सा की भूमि है।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 वादी संख्या 1 की बहने है एवं रूपसिह पुत्र धोकलसिह की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि अपने भाईयो वादी संख्या 1 एव प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया हुआ है तथा प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 जो वादी संख्या 2 की बहने एवं रूपसिह की पुत्रीया है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी संख्या 2 एव प्रतिवादी संख्या 7 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,6 ,7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एव आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646

Scanned with CamScanner

प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 439/440 की कुल 2.4688हैव भूमि भैरूसिह , रूपसिह पुत्र धोकलसिह बहिब के नाम , व रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 446/449 की कुल 12.5235हैव भूमि में सयुक्त तौर से भैरूसिह पुत्र धोकलसिह का 55787/12535 हिस्सा , व रूपसिह के वारिसान वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 7 ता 10 का कुल 55787/125235 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादीगण का कथन है कि वाद भूमि पूर्व में उनके पूर्वजो के नाम से दर्ज थी जिनका देहान्त हो चुका है वादीगण के पूर्वजो के नाम से दर्ज भूमि उनके वारिसान के हक हिस्सा की भूमि अर्थात वाद भूमि वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के हक हिस्सा की भूमि है वादीगण के कथनो को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादीगण का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ,8 ता 10 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ,8 ता 10 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 6 ,7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ,8 ता 10 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 439/440 की कुल 2.4688हैव भूमि भैरूसिह , रूपसिह पुत्र धोकलसिह के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 बहिब 1/2 हिस्सा , व वादी संख्या 2 एव प्रतिवादी संख्या 7 बहिब 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 446/449 की कुल 12.5235हैव भूमि में सयुक्त तौर से भैरूसिह पुत्र धोकलसिह का 55787/12535 हिस्सा व रूपसिह के वारिसान वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 7 ता 10 का कुल 55787/125235 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर सयुक्त तौर से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 बहिब 5.5787हिस्सा व वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 7 बहिब 5.5787हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीव तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 03/08/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )
नोहर ( हनुमानगढ )

Scanned with CamScanner

# पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी )

## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. कालुसिह पुत्र भैरूसिह जाति राजपूत साकिन धानसिया तहसील नोहर ।
2. महेन्द्रसिह पुत्र रूपसिह जाति राजपुत साकिन धानसिया तहसील नोहर।

वादीगण

**बनाम**

1. प्रर्वतसिह पुत्र भैरूसिह जाति राजपूत साकिन धानसिया तहसील नोहर।
2. रतनकवंर पत्नी स्व भैरूसिह जाति राजपूत साकिन धानसिया तहसील नोहर।
3. भंवरीदेवी पुत्री स्व भैरूसिह जाति राजपूत साकिन धानसिया तहसील नोहर।
4. इन्द्रावती पुत्री स्व भैरूसिह जाति राजपूत साकिन धानसिया तहसील नोहर।
5. रूकमा कवंर पुत्री स्व भैरूसिह जाति राजपूत साकिन धानसिया तहसील नोहर।
6. रूकमण कंवर पुत्री स्व भैरूसिह जाति राजपूत साकिन धानसिया तहसील नोहर।
7. विक्रमसिह पुत्र स्व रूपसिह जाति राजपूत साकिन धानसिया तहसील नोहर।
8. रतुकंवर पत्नी स्व रूपसिह जाति राजपूत साकिन धानसिया तहसील नोहर।
9. मीराकंवर पुत्री रूपसिह जाति राजपूत साकिन धानसिया तहसील नोहर।
10. सुमित्रा कंवर पुत्री रूपसिह जाति राजपूत साकिन धानसिया तहसील नोहर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**
**राजस्व वाद संख्या 638 सन 2022 निर्णय दिनांक–** 08/08/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 439/440 की कुल 2.4688हैव भूमि भैरूसिह , रूपसिह पुत्र धोकलसिह के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 बहिब 1/2 हिस्सा , व वादी संख्या 2 एव प्रतिवादी संख्या 7 बहिब 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 446/449 की कुल 12.5235हैव भूमि में सयुक्त तौर से भैरूसिह पुत्र धोकलसिह का 55787/12535 हिस्सा व रूपसिह के वारिसान वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 7 ता 10 का कुल 55787/125235 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर सयुक्त तौर से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 बहिब 5.5787हिस्सा व वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 7 बहिब 5.5787हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 08/08/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )
नोहर ( हनुमानगढ )

Scanned with CamScanner